ASSENT TO BILL

AFRICAN DEVELOPMENT FUND BILL

SECRETARY: Sir, I lay on the Table the African Development Fund Bill, 1982, passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to since a report was last made to the House on the 19th February, 1982.

12.07 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

PROBLEM OF BONDED LABOUR IN MADHYA PRADESH, HARYANA, DELHI AND OTHER PARTS OF THE COUNTRY

श्री राम विलास पासवान : (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर श्रम मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और देश के अन्य भागों में बंधुआ मज़दूरों की समस्या और उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) महोदय, बन्धुआ मज़दूर गांवों में रहने वाले गरीबों में से सब से गरीब वर्ग के हैं। उन्हें आर्थिक और शारीरिक शोषण से बचाने के लिए बन्धुआ मजदूर पद्धति को पूरे देश में 25 अक्तूबर, 1975 से बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन समाप्त कर दिया गया है। यह 20—सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र है। यह अधिनियम अत्यधिक घृणित प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। राज्य सरकारें इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन तथा प्रशासन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

2. बन्धुआ मजदूर पद्धति होने की सूचना दस राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उडीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है।

3. मुक्त कराए गये बन्धुआ श्रमिकों को मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े वर्गों के क्षेत्रीय विकास और कल्याण सम्बन्धी विभिन्न चालू कार्यक्रमों के अधीन फिर से बसाया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास कार्यक्रमों की सहायता करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा 1978—79 में एक केन्द्रीय संचालित योजना आरम्भ की गई और छठी योजना (1980—1985) में इसके लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अनुसार एक बन्धुआ मजदूर को पुनः बसाने पर अधिकतम 4,000.00 रुपये तक खर्च किए जाते हैं, इसके लिए राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत के बराबर-बराबर के अनुदान दिए जाते हैं। मुक्त कराए गए बन्धुआ मजदूरों को यह सहायता आय-सृजन आर्थिक यूनिटों, जैसे कृषि उपकरणों और निवेशों, मुर्गी/बकरी/भेड़/सुअर पालन ईकाइयों तथा बढ़ईगिरी के लिए औजार और उपस्कर तथा व्यक्तिगत रुचियों एवं आवश्यकताओं के उपयुक्त कुशलता पर आधारित ऐसे अन्य व्यवसायों के लिए दी जाती है। राज्य सरकारों से इस योजना के साथ अन्य योजनाओं, जैसा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास की योजनाओं को, जहां कहीं आवश्यक हो, सामन्जस्य स्थापित करने की आशा की जाती है, ताकि स्थाई प्रकार का पुनर्वास सुनिश्चित किया